न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 38/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/226

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
नारायणवन पुत्र गुणेशवन जाति नाथ निवासी गांव हिरावास, तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी आसन घांचीयान तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. ग्राम पंचायत गुडा रामसिंह पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली 2. अशोकवन पुत्र भैरूवन जाति नाथ निवासी गांव हिरावास तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक : 20/02/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ा रामसिंह द्वारा मिसल संख्या 49/2012–13 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 05.02.2014 के विरूद्ध पेश की की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 दौराने बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत गुडा रामसिंह द्वारा प्रार्थी, भेरूवन, देवावन तथा नेनावन के पक्ष में ग्राम हिरावास तहसील सोजत में पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.03.1974 जारी किया जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में वोराराम कुमार का मकान, पश्चिम दिशा में नैनदास कामड का बाडा, उत्तर दिशा में आसण के चौक का रास्ता तथा दक्षिण दिशा में चौक स्थित है, जिस पर पट्टाधाराकों का शामलाती मकान बना हुआ है तथा उक्त मकान का पट्टाधारकों के मध्य एक लिखित बंटवाडा भी दिनांक 25.06.1981 को लिखा गया था। अप्रार्थी संख्या उक्त पट्टा संख्या 34 के सह–पट्टेदार भेरूवन का पुत्र है, जिस इस पट्टे की जानकारी होते हुये भी ग्राम पंचायत से मिलावट से पूर्व से जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा बना दिया। जैर निगरानी पट्टे की पूर्व दिशा में सिर्फ आम रास्ता दर्ज किया जबकि वोराराम कुमार का मकान नहीं दर्शाया, इसी तरह पश्चिम में जो नेनदास कामड का वाडा था उसे नेनदास के पोते भीखदास के मकान के रूप में बताया, उत्तर दिशा में आसन का चौक था जिस सिर्फ आम रास्ता दर्शाया तथा दक्षिण में चौक दर्शाया हुआ था जिसे मंदिर व गली दर्शाया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम अनुसार पट्टा जारी करने की जो प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं की गयी, प्रार्थी द्वारा कोई भी विधिवत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, न ही नक्शा बनाया गया, मौका निरीक्षण नहीं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया गया और न ही गवाहों के बयानात लिये गये। इसलिये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गुड़ा रामसिंह द्वारा मिसल संख्या 49/2012–13 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 05.02.2014 के विरूद्ध पेश की की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह रहा कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.03.1974 की आराजी पर जारी किया हुआ है जो कि ग्राम पंचायत हिरावास द्वारा नारायणवन, भेरूवन, देवावन तथा नेनावन के पक्ष में जारी किया गया, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में वोराराम कुमार का मकान, पश्चिम दिशा में नैनदास कामड का बाडा, उत्तर दिशा में आसण का चौक का रास्ता तथा दक्षिण दिशा में चौक स्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह उज्र किया कि जैर निगरानी पट्टे के पूर्व में वोराराम कुमार का मकान है तथा उसके आगे आम रास्ता है परन्तु जैर निगरानी पट्टे में पूर्व में आम रास्ता ही अंकित किया। इसी प्रकार जैर आराजी के पश्चिम में नेनदास का मकान व बाडा है परन्तु जैर निगरानी पट्टे में भीखदास का नाम अंकित है जबकि ग्राम हीरावास तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 से यह प्रमाणित है कि भीखदास, नेनदास का पौत्र है। जैर आराजी के उत्तर दिशा में आसण का चौक व रास्ता जबकि जैर निगरानी पट्टे में केवल आम रास्ता अंकित है। जैर निगरानी पट्टे, पत्रावली पर उपलब्ध फोटो एवं जैर आराजी के गुगल नक्शे के फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टा संख्या 34 की आराजी पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा 2835.62 वर्गफीट का जारी किया है जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

"राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगंज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.02.2013, उसमें ग्रुप सचिव का नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु प्रकरण से सम्बन्धित नक्शे पर न तो सायल के हस्ताक्षर है न ही सरपंच के हस्ताक्षर है और उक्त नक्शा कब बनाया गया के सम्बन्ध में भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है। आदेशिका दिनांक 20.03.2013 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साईक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही आपत्ति इश्तिहार पर न तो पंचायत की मोहर है और न ही डिस्पेच नम्बर अंकित है तथा आपत्ति इश्तिहार सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाह के केवल हस्ताक्षर है उसकी वल्दियती अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टे जारी किये गये है, उस भूमि पर नारायणवन, भेरूवन, देवावन तथा नेनावन पुत्र गुणेसवन जी नाथ के पक्ष में सामुहिक पट्टा संख्या 34 दिनांक 30.03.1974 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये गये है, जो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत गुड़ा रामसिंह द्वारा मिसल संख्या 49/2012–13 दिनांक 05.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 05.02.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली